


परियोजना का नाम:- कूल विरखन सूड होते हुए प्याड़ा इंटर कॉलेज तक मोटर मार्ग निर्माण ।

1. भूमि छरतान्तरण के बाद भी उसके उपरके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भौति रखिए या अरक्षित बन भूमि यनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग कबल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्ररावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग संस्था अथवा व्यवित विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि गौणी यह भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा उकेदास बन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित बनायिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग द्वारा करना होगा, जिसके आयके द्वारा सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यव से सम्बन्धित बनायिक द्वारा निर्धारित करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण बन भूमि पर बन विभाग के कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आमतित नहीं होगा।
8. बहुमूल्य बन सम्पदा या आच्यादित एवं बन जन्मुओं से भरपूर बन क्षेत्रों का हस्तान्तरण विधासभा व प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों द्वारा ही ऐसा किया जाना राष्ट्रव दोगा, परन्तु प्रतिवर्ध यह होगा कि बन राष्ट्रपदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्मुओं के स्वच्छ विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा बन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं बन विभाग के कर्मचारियों की निशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित बन भूमि का सम्प्रोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर बन भूमि रखते विना विनी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये बन विभाग को बापल हो जायेगी। बन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्दित भवत आदि स्वतः विना किसी प्रतिकर का भुगतान किये बन विभाग को भ्रात्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के ग्रस्ताया पर एलाईचम्बट तथा होते राष्ट्र राष्ट्रीय रहार पर बन विभाग का परामर्श राठनियों द्वारा प्राप्त विना जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अधिकारी, राठनियों के अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, पर्वत क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित यत्र संख्या 008 सी0 दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का प्रालन गी राठनियों द्वारा किया जायेगा कि अस्वागत बनाना अथवा बन गार्ड को फेर बदल कर पकड़ करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. बन भूमि का मूल्य व्यवस्थित जितायिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित ग्रमाण पत्र के आधार पर आंकित होना जा याचक विभाग को सात्त्व होगा।
13. बन भूमि पर खड़े चूकों का निरतारण बन विभाग उठनियों बन निगम अधवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो बन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से चूकों का निरतान्तरण बन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा यूधों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर फड़ने वाले यूधों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के सम्पुल्य यूकारोपण का भुगतान अथवा सम्पुल्य और वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में यूकारोपण तथा 3 पर्यंत ताक परिपोषण व्यव जो भी बन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग द्वारा करेगा। 1000 मीटर पर्यंत 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े यूधों का साल भी नियमित है, इसी प्रकार यूधों के पंडों पर पातन भी विभिन्न है। ऐसे यूधों का पालन बन निरीक्षण बन संदर्भक रहर पर हो जाय।

परियोजना का नाम:- कूल विरखन सूड होते हुए प्यूडा इन्टर कॉलेज तक मोटर मार्ग निर्माण ।

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथासमवेपेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खामों को ऊचा बनके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि किर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या रायुक्त स्थिति निरीक्षण करके साम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुग्रहन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की राखावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पनका करना आगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा यह कि विभाग स्वयं अपने द्वारा योग्य संरक्षण कर सकता है।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वार्तविक हस्तान्तरण तभी वित्त्या जाय, जब उच्च शर्तों का भूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समृद्धि स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को गान्य हैं।



अधिकारी अमितनन्द
नियमों लोगों नियमों नियम
नैनीतिक